

16-8-19

पत्रावली पेश हुयी। वादीगण एवं
वादीगण के वकील से रज्ज-2
कर कर-2 अवाज लगाई
गई। वादीगण एवं उनके वकील
उपस्थित नहीं थे। अतः यह वादीगण
अदालत हाजरी व अदालत डेब्टी के
स्वारेज स्थित जाता है। पत्रावली
जो अदालत हाजरी व अदालत से
कर है वही, उपर दायित्व है।